न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/12/2020	2020/00054	14-08-2020	22-02-2021

01– बनेश देवी पुत्री कैलाश जाति मीना काश्तकार ग्राम खेड़ा मिर्जापुर तहसील रैणी जिला अलवर राज. हाल पत्नी रामप्रसाद मीना हाल निवासी जगरामपुरा पटटी कालाखो तहसील सिकराय जिला दौसा राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

01– नायब तहसीलदार रैणी जिला अलवर राज0 —रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार रैणी का निर्णय दिनांक 30.05.1992 नामान्तकरण संख्या 8 ग्राम खेड़ा मिर्जापुर तह0 रैणी जिला अलवर राज0

उपस्थितः–

01. श्री महेश मीना —वकील अपीलान्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रैणी के आदेश दिनांक 30.05.1992 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 8 ग्राम खेड़ा मिर्जापुर तह0 रैणी जिला अलवर में अपीलांट का नाम गलत रूप से बनेश देवी के स्थान पर बन्ना दर्ज किया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट को पूर्व में उक्त गलत इंतकाल की जानकारी नहीं थी क्योंकि अपीलांट यह समझी थी कि उसके सही व वास्तविक नाम से इंतकाल दर्ज व स्वीकार हो गया होगा। जिस कारण से अपीलांट अपील अन्दर अवधि पेश नही कर सकी। जिसमें अपीलांट की कोई लापरवाही नहीं है। लेकिन अपीलांट दिनांक 10.06.2020 को पटवारी हल्का के पास क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए गई तो उसने बताया कि तुम्हारे आधार कार्ड, राशन कार्ड

आदि में तुम्हारा बनेश देवी लिखा हुआ है, जबकि जमाबंदी में बन्ना अंकित है, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड नहीं बन सकता, क्योंकि नाम अंतर आ रहा है। जिस पर इंतकाल सं0 8 की नकल के लिए तहसील में प्रा0पत्र दिनांक 10.06.2020 को पेश किया। जिसकी नकल दिनांक 10.06.2020 को प्राप्त हुई, जिसे लेकर वकील साहब से सम्पर्क कर सलाह मशवरा किया तो उन्होंने अपील करने की सलाह दी जिस अपील हेतु खर्चे का इंतजाम कर व अपील तैयार करवाकर तारीख जानकारी से अपील बिना देरी के अन्दर अवधि पेश की जा रही है। दिनांक 30.05.1992 से दिनांक 10.06.2020 तक का जो समय व्यतीत हुआ है, वह अपीलांट को गलत इंतकाल की जानकारी नहीं होने के कारण व्यतीत हुआ है, जो कि नेकनियती व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने काबिल माफी तथा म्याद में मुजरा दिये जोन योग्य है जिस हेतु प्रा0पत्र दफा 05 कानून मयाद अलग से पेश है। ग्राम खेड़ा मिर्जापुर तहसील रैणी जिला अलवर में आराजी खसरा नम्बर 639, 638, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 319, 320, 848, 849 कुवरिया व भजना पि0 मोती के नाम खातेदारी में चला आता था। उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार अपीलांट का दादा भजना पि0 मोती था, जो फौत हो गया और उसके फौत हो जाने के बाद से अपीलांट व अपीलांट के भाई, बहन व दादी उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। पटवारी हल्का ने, जब अपीलांट के दादा भजना का इंतकाल पुस्तिका में इंतकाल सं0 8 में जो शजरा दर्शाया है उसमें अपीलांट का नाम बनेश देवी के स्थान पर बन्ना दर्ज कर दिया जबकि मृतक भजना के बन्ना नाम की कोई पौती नहीं है बल्कि अपीलांट का नाम बन्ना के स्थान पर बनेश देवी शजरे में आना चाहिए था। बन्ना के नाम का अंकन पटवारी हल्का ने गलत किया है। इंतकाल सं0 8 को पटवारी हल्का ने रैस्पो0 के समक्ष पेश किया जिस पर रैस्पो0 ने कोई जांच नहीं की तथा अपीलांट के नाम की सत्यता की जांच किये बिना व विधि विरूद्ध व शजरे में गलत नाम का अंकन करते हुए इंतकाल सं0 8 को बेजा हकूको के खिलाफ स्वीकार किया है। दुरूस्ती नहीं की जाती है तो अपीलांट को खातेदारी हकूक व सरकारी नीतियों का फायदा नहीं मिलेगा। अपीलांट की फौत होने पर विरासत का इंतकाल अपीलांट के वारिसान के नाम दर्ज नहीं होगा। अपीलांट के दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, बच्चों के स्कूल प्रमाण–पत्र, अंकतालिकाओं सभी में अपीलांट का नाम बनेश देवी दर्ज है। जिनकी नकले प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.05.1992 इंतकाल संख्या 8 ग्राम खेड़ा मिर्जापुर तह0 रैणी को अपास्त फरमाकर इंतकाल में अपीलांट का नाम बन्ना के स्थान पर बनेश देवी व अन्यों के नाम पुनः दर्ज व स्वीकार किये जाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने

— 7 —

यह अपील आदेश दिनांक 30.05.1992 के विरूद्ध दिनांक 27.07.2020 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 28 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधि साधारण नही है, अपीलान्ट ने अपील जानबूझकर विलम्ब से पेश की है तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नहीं किया जबकि विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन–प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि इंतकाल सं0 8 दिनांक 30.05.1992 ग्राम खेड़ा मिर्जापुर तहसील रैणी में अपीलांट का नाम बन्ना दर्ज है तथा अपीलांट द्वारा पेश राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड बनेश देवी के नाम से है। जिनके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि बन्ना देवी ही बनेश देवी है। अपीलांट द्वारा तत्समय का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलांट का नाम बन्ना के स्थान पर बनेश देवी हो। अपील अपीलांट दोनों ही बिन्दू पर अपील सिद्ध करने में असमर्थ रहीं है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22–02–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/2/21

(कमलराम मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)